# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

## महेन्द्र बनाम भंवरलाल वगैरह

## किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## प्रकरण संख्या 129/2026 (अजमेर)

Rn/05
17/3/26

**श्री महेन्द्रसिंह चौहान**

महेन्द्र बनाम भंवरलाल वगैरह (2026/129)

17.03.2026

यह अपील श्री महेन्द्रसिंह चौहान एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर मु0 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 152/2022 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19.05.2025 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारीर अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया।

अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत निवेदन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कुछ अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है इसके बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार का अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रदान नहीं कर केवल मात्र सीलें लगाकर पेशीयां दी जा रही है। जिससे प्रार्थीगण द्वारा विधिक सलाह अनुसार उपरोक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। बाद अवलोकन अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा आर0वी0जे0 (21) 2014 पेज संख्या 472 के न्यायिक दृष्टांत में अंकन है कि " **Purpose of Rules of limitation is not to destroy the rights of the parties, rather the idea is that every legal remedy must be kept alive for a legislatively fixed period of time.**" इस अनुसार हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोष एवं सद्भाविक प्रतीत होने से प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं कर मेरिट पर किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील प्रस्तुती में हुयी देरी को न्यायहित में कन्डोन कर प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया जिसे दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



Scanned with CamScanner

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

## महेन्द्र बनाम भंवरलाल वगैरह

## किस्म मुकदमाः—225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## प्रकरण संख्या 129/2026 (अजमेर)

लगातार— आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में नियमित तारीख पेशी दी जाती रही है। प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से जो उज्र उठाये गये है वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विधिक रूप से उपचार प्राप्त कर सकते है।

अतः न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर बिना गुणावगुण पर टिप्पीणी किये निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

अपील टी.ए. संख्या ...129.. / 2026 जिला अजमेर

2026/129

1. महेन्द्र पुत्र श्री नौरत पौत्र श्री मांगू पडपौत्र श्री जुवारा, जाति गुर्जर मूल निवास चाचियावास तहसील अजमेर हाल निवासी ग्राम मण्डियानी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. सत्यनारायण पुत्र श्री रामचन्द्र पौत्र श्री मांगू पडपौत्र श्री जुवारा, जाति गुर्जर मूल निवास चाचियावास तहसील अजमेर हाल निवासी ग्राम मण्डियानी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

— अपीलांट्स

129/2026
17.3.26

बनाम्

1. भंवरलाल पुत्र जोधा, जाति गुर्जर, निवासी चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।
2. कानाराम पुत्र श्री जोधा, जाति गुर्जर, निवासी केसरी कॉलोनी, बालूपुरा आदर्श नगर, अजमेर।
3. उप पंजीयक द्वितीय अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

— रेस्पोडेन्ट्स

5. प्रताप पुत्र मांगू पौत्र जुवारा जाति गुर्जर निवासी चामुण्डा माता मंदिर के पास, ग्राम मण्डियानी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
6. पूरण पुत्र श्री रामचन्द्र पौत्र श्री मांगू पडपौत्र श्री जुवारा जाति गुर्जर निवासी चामुण्डा माता मंदिर के पास, ग्राम मण्डियानी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

Scanned with CamScanner

7. देवकरण पुत्र श्री रामचन्द्र पौत्र श्री मांगू पडपौत्र श्री जुवारा जाति गुर्जर निवासी चामुण्डा माता मंदिर के पास, ग्राम मण्डियानी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

— प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) महोदय, अजमेर दिनांक 19.5.2025 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 152/2022 बउनवानी महेन्द्र बनाम भंवरलाल वगैरह।

———

मान्यवर,

अपीलांट्स की ओर से निम्न निवेदन है :–

(अ) यह कि इस अपील के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण /अपीलांट्स द्वारा एक राजस्व वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) महोदय, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नम्बर 1223 रकबा 02–16–00 बीघा के वर्किंग खसरा नम्बर 1502 रकबा 02–16–00 बीघा के वर्तमान खसरा नम्बर 1972/2710 रकबा 0.13 हैक्टर किस्म बारानी 3 एवं खसरा नम्बर 2025 रकबा 0.45 हैक्टर किस्म बारानी 3 की भूमि ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर में स्थित है। उक्त भूमि के चौसाला खसरा नम्बर 1223 रकबा 02–16–00 बीघा के खातेदार खतौनी जमाबन्दी 1349 फसली के अनुसार वादीगण के पडदादा श्री जुवारा पुत्र नन्दा

Scanned with CamScanner